न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट.), वाराणसी।

परिवाद संख्या–586/2024

आरती कुमारी बनाम राजेश यादव

थाना–सारनाथ, वाराणसी।

दिनांक–05.12.2024

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। विगत तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दू पर सुना जा चुका है।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि वह अनुसूचित जाति की खरवार है तथा दिनांक 08.10.2023 को समय 04:00बजे विपक्षीगण राजेश यादव व विनोद यादव आकर उसके गेट जोर–जोर से पीटने लगे। जब वह गेट खोली तो विपक्षीगण उसको थप्पड़ मारकर उसका कपड़ा फाड़ने की कोशिश किये। चिल्लाने पर मॉ मौके पर आ गयी तथ विपक्षीगण गेट से बाहर निकलकर भद्दी–भद्दी गालियॉ देना शुरू कर दिये, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिये तथा उसकी मॉ पर ईट से हमला किये। उसी समय विपक्षीगण विनोद व राजेश की पत्नी व उनके घर की अन्य महिलायें गोल बन्द होकर उसके दरवाजे पर चढ़ आयीं और गाली गलौज करने के साथ–साथ हाथापाई करने लगी। दिनांक 08.10.2023 को दिये गये प्रार्थनापत्र से क्षुब्ध होकर पुनः दिनांक 10.10.2023 को विपक्षीगण उसके घर पर चढ़ आये और जातिसूचक शब्दों को प्रयोग करते हुये गाली गलौज किये और कहे कि तुम मेरे खिलाफ थाने पर प्रार्थनापत्र दे रही हो अब तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।

परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संख्या अंकित किया गया। साथ ही किरन देवी का बतौर पी0डब्ल्यू0–1 व जगजीवन प्रसाद का बतौर पी0डब्ल्यू0 02 के रूप में बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं. अंकित करवाया गया है।

प्रश्नगत् मामले में परिवाद वस्तुतः विपक्षीगण राजेश यादव एवं विनोद यादव को नामित करते हुये प्रेषित किया गया है, शेष जो अभियुक्तगण बताये गये है उनके संबंध में न तो परिवादपत्र में और न ही दौरान जॉच प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में कोई नाम उल्लिखित किया गया है। मुख्य रूप से विवाद जमीन तथा गाय बछड़ों द्वारा पेड़ पौधों को चर लेने का है और उसी के सापेक्ष मारपीट, गाली–गुप्ता व जातिसूचक शब्दों के प्रयोग करने का तथ्य रखा गया है। परिवादिनी आरती कुमार पुत्री जगजीवन ने दौरान जॉच अपने बयान 200 सी0आर0पी0सी0 में उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 08.10.2024 को शाम 4 बजे अभियुक्तगण घर पर आये और गाय बछड़े के द्वारा प्लाट में पेड़ पौधों को चर लेने का उलाहना दिया गया।

उल्लिखित किया गया है कि इसी बात को लेकर हाथापाई अभियुक्तगणों द्वारा किया जाने लगा जब मम्मी ने बीच बचाव किया तो राजेश यादव ने ईट उठाकर मम्मी को मारा। गाली गलौज दिया जाने लगा और घर से निकलना मुश्किल होने के संबंध में धमकी दी जाने लगी। 112 नं0 डायल करने पर पुलिस मौके पर आ गयी। फोन करने पर भाई मौके पर पहुॅच गये। मोबइल में घटना को पूर्ण रूपेण रिकार्ड करने की भी बात कही गयी है।

Digitally signed by DEVAKANT SHUKLA
Date: 2024.12.07 11:05:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पी0डब्ल्यू0 1 बतौर 202 दं0प्र0सं0 के रूप में किरन देवी पत्नी जगजीवन परीक्षित हुयीं हैं। इनके द्वारा मात्र दो विपक्षीगण राजेश यादव एवं विनोद यादव का ही नाम लिया गया है। अपनी लड़की के उपर हाथ उठाने की बात कही है तथा जातिसूचक शब्दों खटिक, चमाइन सियारिन का भी उल्लेख किया गया है। शेष 202 की जॉच में जगजीवन प्रसाद परीक्षित हुये हैं। इन्होंने राकेश व विनोद यादव के द्वारा मारपीट की घटना का उल्लेख किया है और यह भी कहा है कि विनोद यादव ने कपड़ा फाड़ने की भी कोशिश उसकी लड़की का किया। भद्दी–भद्दी गाली देना जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना व जान से मार देने की धमकी देने की बात कही गयी है। 200 दं0प्र0सं0 के बयान में स्वयं आरती जो कि जगजीवन प्रसाद की पुत्री है, परीक्षित हुयीं है उन्होंने स्वयं के कपड़े फाड़ने का तथ्य नहीं कहा है। इस प्रकार से देखा जाये तो दौरान जॉच जो साक्ष्य परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत की गयी है उसमें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना, भद्दी–भद्दी गालियॉ देना व जान से मार देने की धमकी के साथ–साथ मारपीट की घटना का समर्थन किया है। प्रथम दृष्टया विपक्षी राजेश यादव व विनोद यादव के बाबत् इतनी साक्ष्य संकलित है कि उन्हें आहूत किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण **राजेश यादव एवं विनोद यादव** को अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट **(घटना दिनांक 01.07.2024 के पूर्व की है)** के प्रकरण में विचारण हेतु जरिये समन **दिनांक 10.01.2025** के लिये तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें एवं सूची गवाहान दाखिल करें।

(देव कान्त शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0एक्ट),
वाराणसी।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6189